


सपना

3412-24 प्रार्थी सं. 1 की ओर से शरणा-पत्र वास्ते
प्रकरण 9-1-2025 के स्थान पर आज तक
फरमायी जाकर शरणा-पत्र नोटिस में
स्वार्थी फरमाये जाने बाबत पेश करने
पर पठावली तक की गयी प्रस्तुत शरणा-
पत्र अनुसार प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के मध्य आपसी
सहमति से सलीनागा होकर उत्पन्न समस्त विवाद
समाप्त हो चुके हैं। प्रार्थिया का इस वाद में अपरोक्ष
सलीनागे पश्चात् कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है।
प्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित। प्रार्थियाने पहचानस्वरूप
व्याधार कार्ड सं. 9447 069/1742 की स्व हस्ताक्षरित

अ. वि. जणरमी

पहचानती
Chand /
31/12/24

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

ग्यारसी

बनाम

कोशल्या

केसम मुकदमा :- 212 R-T.A.C

नंबर 102 वर्ष 2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>प्राति पेश की। प्रार्थिया की पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गयी। प्रार्थिया द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थिया, वकील प्रार्थी को सुना गया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नोटिस में खारिज किया जाता है। पदावली फ़ैसल कुमार टैकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	